न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़

अपील संख्याः–117/2024 पीठासीन अधिकारीः–ओम प्रकाश सहारण (RAS)

श्रीमति मिश्रो देवी पत्नि लीलाराम जाति गुर्जर निवासी भग्गूकावास तहसील बानसूर जिला अलवर हाल जिला कोटपुतली बहरोड (राज.)

––अपीलान्ट

बनाम

1. रघुवीर पिसर मुतबन्ना महादा ओरस पुत्र मौजी जाति अहीर निवासी ग्राम माजरा अहीर तहसील बानसूर हाल जिला कोटपुतली बहरोड (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बानसूर हाल जिला कोटपुतली बहरोड (राज०)
3. दीवान पुत्र मौजी जाति अहीर निवासी माजरा अहीर तहसील बानसूर जिला कोटपुतली बहरोड (राज)
4. महेन्द्र पुत्र मौजी जाति अहीर निवासी माजरा अहीर तहसील बानसूर जिला कोटपुतली बहरोड (राज०)
5. गिन्दोडी पत्नि महादेवा उर्फ महादा जाति अहीर निवासी माजरा अहीर तहसील बानसूर जिला कोटपुतली बहरोड (राज)
6. राजेश पुत्री महादेवा जाति अहीर निवासी माजरा अहीर तहसील बानसूर जिला कोटपुतली बहरोड (राज)
7. गिन्दोडी पत्नि रघुवीर जाति अहीर निवासी माजरा अहीर तहसील बानसूर जिला कोटपुतली बहरोड (राज)
8. सावंतराम पुत्र भोलाराम जाति अहीर निवासी मल्लुवास तहसील बानसूर जिला कोटपुतली बहरोड (राज)
9. रघुवीर पुत्र भोलाराम जाति अहीर निवासी मल्लुवास तहसील बानसूर जिला कोटपुतली बहरोड (राज)
10. रामस्वरूप पुत्र भैरुराम जाति अहीर निवासी मल्लुवास तहसील बानसूर जिला कोटपुतली बहरोड (राज०)
11. गजराज पुत्र रेवती जाति अहीर निवासी माजरा अहीर तहसील बानसूर जिला कोटपुतली बहरोड (राज)
12. रूपराम पुत्र रेवती जाति अहीर निवासी माजरा अहीर तहसील बानसूर जिला कोटपुतली बहरोड (राज.)
13. सुमन पुत्री रेवती जाति अहीर निवासी माजरा अहीर तहसील बानसूर जिला कोटपुतली बहरोड (राज०)
14. प्रवेश पुत्र रेवती जाति अहीर निवासी माजरा अहीर तहसील बानसूर जिला कोटपुतली बहरोड (राज०)

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

15. ज्ञाना पुत्री रेवती जाति अहीर निवासी माजरा अहीर तहसील बानसूर जिला कोटपुतली बहरोड (राज)

——रेस्पोडेन्टयान

अपील बनाराजी तजबीज साहब तहसीलदार बानसुर दिनांक 11–03–2019 जिसके द्वारा इन्तकाल नंबर 609 मुताबिक सहमति बंटवारानामा के तहत आराजी खसरा नंबर 440 रकबा 1.60 है कुल किता 1 कुल रकबा 1.60 है0 में से 1/2 हिस्सा रघुवीर के नाम व 1/2 हिस्सा गिन्दोदेवी के नाम दर्ज व स्वीकार किया गया। बमुराद मंसुखी तजबीज तहत अदालत व मंजूर किये जाने अपील अपीलाण्ट

1. अपीलाण्टस वकीलः– श्री गजानन्द सैनी।
2. रेस्पोडेन्टः–हेमन्त शर्मा।

निर्णय

दिनांक 27/5/26

1. यह अपील अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय, तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 11.03.2019 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 609 दर्ज किया गया से व्यथित होकर धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत की अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि तहत अदालत ने उक्त इन्तकाल सहमति बंटवारानामा आराजी मुतनाजा व अन्य आराजीयात पर इन्तकाल नंबर 609 बाला बाला बिला अपीलान्टा को नोटिस जारी किये व बिला सबूत पेश करने का मौका दिये गलत तरीके पर रैस्पाडेन्ट नंबर 1 व अन्य के नाम आराजी मुतनाजा का दर्ज व स्वीकार किया है जिसका इल्म मिन अपीलान्टा को तारीख 21–07–2022 को हुआ जब रैस्पाडेन्ट नंबर 1 आराजी मुतनाजा पर नाजायज कब्जा करना चाहा, जिस पर मिन अपीलान्टा ने उसी दिन नकल इन्तकाल मिलने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर नकल इन्तकाल तारीख 25–07–2022 को मिली है। नकल इन्तकाल मिलने पर वकील साहेबान से सलाह व मश्वरा लिया जिन्होंने अपील दायर करने की हिदायत दी। अपीलाण्टा ने गांव में जाकर रूपयों पैसों का इंतजाम किया। जिससे बिला देरी अपील पेश की जा रही है। दिनांक 21–07–2022 से पहले उक्त आदेश की जानकारी नही थी। जिस देरी के बाबत प्रार्थना पत्र जेर दफा 5 कानून मियाद मय शपथपत्र अलग से पेश है। अपीलाण्टा ने अपील दायर करने में दीदोदानिस्ता देरी नहीं की है व उक्त देरी काबिल माफी है।
2. यह कि मिन अपीलाण्टा उक्त प्रकरण में पक्षकारा नहीं थी व तहत अदालत के इन्तकाल से मिन अपीलाण्टा के हकूक खातेदारी जायल होते है जिससे मिन अपीलाण्टा को तहत अदालत

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

के हुक्म के खिलाफ अपील दायर करने की इजाजत दी जावे। जिस बाबत प्रार्थना पत्र जेर दफा 96 जा दी० अलहेदा से पेश हैं।

3. यह कि तजबीज तहसीलदार बानसूर से अपील काबिल समाअत अदालत श्रीमान है।
4. यह कि अपील हाजा पर कोर्ट फीस 2/– रू. चस्पा है।
5. यह कि तजबीज मातहत बेजा व खिलाफ मंशाय कानून व खिलाफ वाकेयात व खिलाफ रिकॉर्ड महज कयासया है कि जो काबिल मंसुखी है।
6. यह कि मिन अपीलान्टा ने रैस्पाडेन्ट नंबर 1 के हकूक कब्जे काश्त आराजी खसरा नंबर 440 रकबा 1.60 है का हिस्सा 25/160 यानि 0.25 हैक्टेयर यानि 1/4 हिस्सा वाके ग्राम माजरा अहीर तहसील बानसूर जरिये बयनामा तारीख 16–11–2009 को बेशकीमती रकम 7,25,000/– रूपये में खरीद की हैं जो बयनामा उप पंजीयक महोदय बानसूर से तारीख 16–11–2009 को पंजीबद्ध किया गया हैं बाद खरीद उक्त आराजी पर मिन अपीलान्टा बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज दखिल है मिन अपीलान्टा को उक्त आराजी के बाबत हर किस्म के हक हकूक खातेदारी प्राप्त है।
7. यह कि राजस्व कर्मचारी व अधिकारीगण ने आगे की जमाबन्दी आराजी मुतनाजा की बनाते समय मिन अपीलान्टा को अपनी खरीदशुदा आराजी मुतनाजा मुताबिक जमाबंदी संवत 2060 के अमल नही किया और मिन अपीलान्टा की खरीदशुदा आराजी मुतनाजा को बेजा तौर पर रैस्पाडेन्ट नंबर 1 के नाम कागजात माल में दर्ज कर दिया। जिसका पटवारी व कर्मचारीगण को ऐसा करने का कोई हक हांसिल नहीं था जिस पर मिन अपीलान्टा ने न्यायालय सहायक कलेक्टर बानसूर के यहां एक वाद बअनुवान मिश्रो देवी बनाम रघुवीर वगैरा दावा अर्न्तगत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आराजी मुतनाजा के बाबत दायर किया व मिन अपीलान्टा का वाद सहायक कलेक्टर बानसूर ने तारीख 07–01–2020 को डिक्री फरमा दिया गया व मिन अपीलान्टा ने डिक्री के तहत सहायक कलेक्टर बानसूर के यहां इजराय पेश कर रखी हैं जो विचाराधीन हैं।
8. यह कि रैस्पाडेन्ट नंबर 1 ने जब मिन अपीलान्टा को आराजी मुतनाजा का बेचान कर दिया तो रैस्पाडेन्ट नंबर 1 का आराजी मुतनाजा से कोई कब्जा किसी प्रकार का नही रहा हैं और रैस्पाडेन्ट नंबर 1 आराजी मुतनाजा से गैरवास्ता है। लेकिन रैस्पाडेन्ट नंबर 1 व अन्य ने आराजी मुतनाजा व अन्य आराजीयात का सहमति से बंटवारा कर लिया व उक्त सहमति बंटवारे के तहत कार्यालय तहसीलदार बानसूर के आदेश क्रमांक भ.अ./19/287 दिनांक

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

05–02–2019 की पालना में आराजी मुतनाजा व अन्य आराजीयात का सहमति से बंटवारे के तहत इन्तकाल नंबर 609 दर्ज व स्वीकार तारीख 11–03–2019 को किया है।

9. यह कि तहत अदालत ने मिन अपीलान्टा के बाला बाला पीछे से गलत तरीके पर इन्तकाल बहामी बंटवारे के तहत रैस्पाडेन्ट व अन्य के बाबत आराजी मुतनाजा व अन्य आराजीयात का इन्तकाल नंबर 609 दर्ज व स्वीकार करने में भारी भुल की है।

10. यह कि तहत अदालत ने आराजी मुतनाजा का कोई मौका मुआयना नही किया व ना ही आराजी मुतनाजा का कोई कब्जा देखा व गलत तरीके पर इन्तकाल बंटवारे के तहत दर्ज व स्वीकार किया है व इन्तकाल बंटवारे मे रैस्पाडेन्ट नंबर 1 हक मे आराजी मुतनाजा का खसरा नंबर 740 रकबा 0.01 है, 741 रकबा 0.46 है कुल किता 2 कुल रकबा 0.47 है0 व 168 रकबा 0.29 है0 954/201 रकबा 0.15 है० व 962/469 रकबा 0.29 है0 व 951/440 रकबा 0.25 है0 1/2 हिस्सा रैस्पाडेन्ट नंबर 1 के नाम व 1/2 हिस्सा श्रीमति गिन्दो देवी जो रैस्पाडेन्ट नंबर 1 की पत्नि हैं के नाम गलत तरीके पर दर्ज व स्वीकार किया है जबकि आराजी मुतनाजा खसरा नंबर 440 में से 1/4 हिस्सा मिन अपीलान्टा ने जरिये बयनामा खरीद किया है जो काबिल गौर श्रीमान है।

11. यह कि आराजी मुतनाजा पर मिन अपीलान्टा बहैसियत खातेदार काश्तकार के काबिज दखिल हैं व मिन अपीलान्टा आराजी मुतनाजा की बोनाफाइड परचेजर के काबिज दखिल है रैस्पाडेन्ट नंबर 1 का आराजी मुतनाजा खसरा नंबर 440 में से 1/4 हिस्से पर कब्जा नही हैं और वो गैरवास्ता है। चूंकि मिन अपीलान्टा ने आराजी मुतनाजा जरिये बयनामा खरीद की हैं।

12. यह कि दीगर एतराजात वक्त समाअत बहस सेवामें ओर अर्ज किये जावेंगे।

अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलाण्टा मंजूर फरमाया जाकर तजबीज अदालत मातहत दिनांक 11–03–2019 आराजी मुतनाजा इन्तकाल नंबर 609 व मंसुख फरमाया जावे व मिन अपीलान्टा के नाम आराजी मुतनाजा खसरा नंबर 440 रकबा 1.60 है0 का हिस्सा 25/160 यानि 0.25 हैक्टेयर यानि 1/4 हिस्सा वाके ग्राम माजरा अहीर तहसील बानसूर जिला अलवर मुन्दर्जे बयनामा जो मिन अपीलान्टा ने रैस्पाडेन्ट नंबर 1 से तारीख 16–11–2009 को आराजी मुतनाजा खरीद की हैं का इन्तकाल बय दर्ज व स्वीकार किया जावे व कुल खर्चा मुकदमा मिन अपीलान्टा को रैस्पाडेन्ट से दिलाया जावे।

13. नव सृजित जिला कोटपूतली–बहरोड़ का गठन होने के कारण पत्रावली क्षेत्राधिकार के कारण इस न्यायालय को प्राप्त हुई। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया। पक्षकारान को सूचित करने हेतु अदालती नोटिस जारी किये गये। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री योगेश्वर

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

प्रसाद ने यूटी दी। रेस्पोडेन्ट संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री अनुप शर्मा ने यूटी दी। बाद में अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री गजानन्द सैनी एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सुधीर शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। रेस्पोडेन्ट वकील द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 9 व 13 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया गया। नकल दिलवाई गई। अपीलान्ट की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 20 जा0 दी0 सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश किया । वकील उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 9 व 13 सपठित धारा 151 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 41 नियम 20 जा0 दी0 पर बहस सुनी गई। बहस सुनकर रेस्पोडेन्ट वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 9 व 13 सपठित धारा 151 सीपीसी को खारीज किया गया तथा अपीलान्ट वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 41 नियम 20 जा0 दी0 स्वीकार किया गया। प्रकरण में सशोंधित टाईटल पेश हुआ तथा रेस्पोडेन्ट की तल्बी हेतु रजि0 डाक के आदेश जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1,5,6,7 व 11 की ओर से अधिवक्ता श्री हेमन्त शर्मा ने यूटी देकर अप्रार्थी सख्या 6,7 व 11 की ओर से वकालतनामा पेश किया शेष रेस्पोडेन्ट उपस्थित नही आने पर इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

14. अपीलान्ट की ओर से उपरोक्त प्रकरण मे लिखित बहस निम्न प्रकार से प्रस्तुत की गई हैं :–

1. यह कि उपरोक्त अनुवानी अपील अपीलान्ट ने अदालत श्रीमान के समक्ष विस्तृत तथ्यो सहित पेश कर रखी है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील, दस्तावेजो से प्रथम दृष्टया साबित है।
2. यह कि तहत अदालत ने उक्त इन्तकाल सहमति बंटवारानामा आराजी मुतनाजा व अन्य आराजीयात पर इन्तकाल नंबर 609 बाला बाला बिला अपीलान्ट को नोटिस जारी किये व बिला सबूत पेश करने का मौका दिये गलत तरीक पर रैस्पाडेन्ट नंबर 1 व अन्य के नाम आराजी मुतनाजा का दर्ज व स्वीकार किया है जिसका इल्म मिन अपीलान्टा को तारीख 21–07–2022 को हुआ जब रैस्पाडेन्ट नंबर 1 आराजी मुतनाजा पर नाजायज कब्जा करना चाहा, जिस पर मिन अपीलान्टा ने उसी दिन नकल इन्तकाल मिलने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर नकल इन्तकाल तारीख 25–07–2022 को मिली है।
3. यह कि मिन अपीलान्टा ने रैस्पाडेन्ट नंबर 1 के हकूक कब्जे काश्त आराजी खसरा नंबर 440 रकबा 1.60 है का हिस्सा 25/160 यानि 0. 25 हैक्टेयर यानि 1/4 हिस्सा वाके ग्राम माजरा अहीर तहसील बानसूर जरिये बयनामा तारीख 16–11–2009 को बेशकीमती रकम 7,25,000/– रूपये में खरीद की हैं जो बयनामा उप पंजीयक महोदय बानसूर से तारीख 16–11–2009 को पंजीबद्ध किया गया हैं बाद खरीद उक्त आराजी पर मिन अपीलान्टा बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज दखिल है मिन अपीलान्टा को उक्त आराजी के बाबत हर किस्म के हक हकूक खातेदारी प्राप्त है।
4. यह कि अपीलान्ट द्वारा खरीदशुदा आराजी खसर नं0 440 रकबा 1.60 हैक्ट० वाके मौजा माजरा अहीर मे 25/160 का यानी 0.25 हैक्ट० यानी 1/4 हिस्से का इंतकाल संख्या 45 दिनाक 07.12.20209 स्वीकार होकर अमल जमाबन्दी सम्वत 2060 मे हो गया था। लेकिन आगे की जमाबन्दी बनाते समय उक्त इंतकाल का नोट छोड दिया गया और रेस्पोडेन्ट ने अपना नाम जरिये शुद्धि पत्र दिंनाक 31.03.2024 रघुवीर पि०मु० महादा के स्थान पर रघुवीर पुत्र मोजी शुद्ध कर दिया गया। जिसका रिकार्ड तहसील कार्यालय मे

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

भी नही है। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने सहायक कलेक्टर बानसूर मे दावा पेश किया गया। जो दिंनाक 07.01.2020 को रेस्पोडेन्ट को सुनकर डिक्री किया गया था लेकिन दौराने विचारण वाद सहमति के आधार पर उक्त विभाजन का इंतकाल करवाया लिया गया। जिससे उक्त निर्णय की पालना नही हो पा रही है।

5. यह कि राजस्व कर्मचारी व अधिकारीगण ने आगे की जमाबन्दी आराजी मुतनाजा की बनाते समय मिन अपीलान्टा को अपनी खरीदशुदा आराजी मुतनाजा मुताबिक जमाबंदी संवत 2060 के अमल नहीं किया और मिन अपीलान्टा की खरीदशुदा आराजी मुतनाजा को बेजा तौर पर रैस्पाडेन्ट नंबर 1 के नाम कागजात माल में दर्ज कर दिया। जिसका पटवारी व कर्मचारीगण को ऐसा करने का कोई हक हासिल नहीं था जिस पर मिन अपीलान्टा ने न्यायालय सहायक कलेक्टर बानसूर के यहां एक वाद बअनुवान मिश्रो देवी बनाम रघुवीर वगैरा दावा अर्न्तगत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आराजी मुतनाजा के बाबत दायर किया व मिन अपीलान्टा का वाद सहायक कलेक्टर बानसूर ने तारीख 07–01–2020 को डिक्री परमा दिया गया व मिन अपीलान्टा ने डिक्री के तहत सहायक कलेक्टर बानसूर के यहां इजराय पेश कर रखी हैं जो विचाराधीन हैं
6. यह कि रैस्पाडेन्ट नंबर 1 जब मिन अपीलान्टा को आराजी मुतनाजा का बेचान कर दिया तो रैस्पाडेन्ट नबर 1 का आराजी मुतनाजा से कोई कब्जा किसी प्रकार का नही रहा हैं और रैस्पाडेन्ट नंबर 1 आराजी मुतनाजा से गैरवास्ता है। लेकिन रैस्पाडेन्ट नंबर 1 व अन्य ने आराजी मुतनाजा व अन्य आराजीयात का सहमति से बंटवारा कर लिया व उक्त सहमति बंटवारे के तहत कार्यालय तहसीलदार बानसूर के आदेश क्रमाक भ.अ./19/287 दिनांक 05–02–2019 की पालना में आराजी मुतनाजा व अन्य आराजीयात का सहमति से बंटवारे के तहत इन्तकाल नंबर 609 दर्ज व स्वीकार तारीख 11–03–2019 को किया है।
7. यह कि तहत अदालत ने मिन अपीलान्टा के बाला बाला पीछे से गलत तरीक से इन्तकाल बहामी बंटवारे के तहत रैस्पाडेन्ट व अन्य के बाबत आराजी मुतनाजा व अन्य आराजीयात का इन्तकाल नंबर 609 दर्ज व स्वीकार करने में भारी भुल की है।
8. यह कि तहत अदालत ने आराजी मुतनाजा का कोई मौका मुआयना नहीं किया व ना ही आराजी मुतनाजा का कोई कब्जा देखा व गलत तरीक पर इन्तकाल बंटवारे के तहत दर्ज व स्वीकार किया है व इन्तकाल बंटवारे में रैस्पाडेन्ट नंबर 1 हक में आराजी मुतनाजा का खसरा नंबर 740 रकबा 0.01 है, 741 रकबा 0.46 है कुल किता 2 कुल रकबा 047 है० व 168 रकबा 0.29 है0 954/201 रकबा 0.15 है0 व 962/469 रकबा 0.29 है0 व 951/440 रकबा 0.25 है0 1/2 हिस्सा रैस्पाडेन्ट नंबर 1 के नाम व 1/2 हिस्सा श्रीमति गिन्दो देवी जो रैस्पाडेन्ट नंबर 1 की पत्नि हैं के नाम गलत तरीके से दर्ज व स्वीकार किया है जबकि आराजी मुतनाजा खसरा नंबर 440 में से 1/4 हिस्सा मिन अपीलान्टा ने जरिये बयनामा खरीद किया है जो काबिल गौर श्रीमान है।
9. यह कि आराजी मुतनाजा पर मिन अपीलान्टा बहैसियत खातेदार काश्तकार के काबिज दखिल हैं व मिन अपीलान्टा आराजी मुतनाजा की बोनाफाइड परचेजर के काबिज दखिल है रैस्पाडेन्ट नंबर 1 का आराजी मुतनाजा खसरा नंबर 440 में से 1/4 हिस्से पर कब्जा

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

नहीं हैं और वो गैरवास्ता है। चूंकि मिन अपीलान्टा ने आराजी मुतनाजा जरिये बयनामा खरीद की हैं।

10. यह कि अपीलान्ट बटवारा इन्तकाल मे अधिनस्थ अदालत को इंतकाल से मिन अपीलान्ट के हक व हकूक होने के कारण अदालत श्रीमान से अपील पेश करने हेतु इजाजत धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र उक्त अपील के साथ पेश कर इजाजत चाही गई है। अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्टा मंजूर फरमाया जाकर तजबीज अदालत मातहत दिनांक 11–03–2019 आराजी गुतनाजा इन्तकाल नंबर 609 व मंसुख फरमाया जावे व मिन अपीलान्टा के नाम आराजी मुतनाजा खसरा नंबर 440 रकबा 1.60 है० का हिस्सा 25/160 यानि 0.25 हैक्टेयर यानि 1/4 हिस्सा वाके ग्राम माजरा अहीर तहसील बानसूर जिला अलवर मुन्दर्जे बयनामा जो मिन अपीलान्टा ने रैस्पाडेन्ट नंबर 1 से तारीख 16–11–2009 को आराजी मुतनाजा खरीद की हैं का इन्तकाल बय दर्ज व स्वीकार किया जावे व कुल खर्चा मुकदमा मिन अपीलान्टा को रैस्पाडेन्ट से दिलाया जावे।

15. रेस्पोडेन्ट की ओर से लिखित बहस निम्न भांति प्रस्तुत हैः–

1. यह कि सक्षम न्यायालय तहसीलदार महोदय द्वारा विधि अनुसार तत्समय के खातेदार के मध्य विभाजन दिनांक 11.03.2019 को किया एवं उसी की अनुपालना में उक्त नामान्तकरण खोला गया इसलिये उक्त विभाजन व नामान्तकरण में.. विधि, की कोई त्रुटी नही होने के कारण अपील खारीज किये जाने योग्य है।
2. यह कि अपीलान्ट बंटवारा किये जाते समय भूमि के खातेदार नही थे इसलिये बंटवारे में पक्षकार नही बनाया गया एवं बंटवारे में पक्षकार नही होने के कारण अपीलान्ट को उक्त अपील प्रस्तुत करने का कोई काननी हक हांसिल नही है. ना ही धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत की स्वीकृति प्राप्त की है इसलिये अपील चलने योग्य नही है।
3. यह कि अपीलान्ट के अनुसार उनका नियमित वाद चल रहा है इसलिये अपीलान्ट अपने अधिकारो के लिये नियमित वाद में ही चाराजोही कर सकता है एवं वाद के डिकी होने की स्थिति में आदेश 21 के तहत इजराय के द्वारा विधिंनुसार कार्यवाही कर सकता है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मय हर्जा खर्चा खारीज फरमायी जावे।

16. उभय पक्षों की लिखित बहस, संलग्न दस्तावेजों, पंजीकृत बयनामा तथा न्यायालय सहायक कलक्टर बानसूर की निर्णय दिनांक 07–01–2020 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने वर्ष 2009 में ही पंजीकृत बयनामे के जरिए खसरा नंबर 440 में से 1/4 हिस्सा क्रय कर लिया था और उसका नामान्तकरण संख्या 45 भी स्वीकृत हुआ था। राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा आगामी जमाबंदी में इस प्रविष्टि को विलोपित करना एक लिपिकीय त्रुटि है। इस बाबत न्यायालय सहायक कलक्टर बानसूर द्वारा दिनांक 07–01–2020 को अपीलार्थी के पक्ष में घोषणात्मक डिक्री पारित की जा चुकी है। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा पूर्व में भूमि विक्रय कर देने के पश्चात, पुनः उसी भूमि का अन्य प्रत्यर्थीगण के साथ आपसी सहमति से बंटवारा कर लेना पूर्णत अवैध है तथा कपटपूर्ण प्रतीत होता है। साथ ही तसहीलदार ने इन्तकाल संख्या 609 तस्दीक करते समय मौके की स्थिति तथा पूर्व

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

पंजीकृत दस्तावेजों व प्रविष्टियों की जांच नहीं की। वास्तविक क्रेता या काबिज व्यक्ति को बिना नोटिस दिए उसकी क्रयशुदा भूमि का बंटवारा अन्य व्यक्तियों के नाम कर देना विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। नियमित वाद लंबित होने मात्र से अपीलान्ट का अपील का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता, विशेषकर तब जब अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपीलार्थी के विधिक खातेदारी अधिकारों को प्रभावित करता हो। इन तमाम विवेचन के आधार पर अपीलार्थी श्रीमति मिश्रो देवी द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है। तहसीलदार बानसूर द्वारा जारी विवादित नामान्तकरण संख्या 609 दिनांक 11–03–2019, उस सीमा तक जहाँ वह खसरा नंबर 440 रकबा 1.60 हैक्टेयर के अपीलार्थी के क्रयशुदा 1/4 हिस्से को प्रभावित करता है, निरस्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पंजीकृत बयनामा दिनांक 16–11–2009 तथा सक्षम न्यायालय सहायक कलक्टर बानसूर के डिक्री आदेश दिनांक 07–01–2020 की पालना में जॉच कर सभी पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर देकर नियमानुसार नामान्तकरण दर्ज करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 29/5/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)